

माक/क्रय/2020/1896

भोपाल, दिनांक 18/8/20

## तृतीय (ई-निविदा सूचना )

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल द्वारा नीचे दर्शाये अनुसार वर्ष 2020-21 के लिये संबंधित फर्मों से ई-निविदा के माध्यम से तृतीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकर्ता <https://mptenders.gov.in/> पर भुगतान कर निविदा प्राप्त कर सकते हैं। निविदा के नियम निर्देश एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट <http://www.klsgaci.edu.in> पर भी प्रदर्शित है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रं. | निविदा का प्रकार  | निविदा शुल्क | ई-निविदा प्राप्त करने का अंतिम दिनांक एवं समय | ई-निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक एवं समय | ई-तकनीकी निविदा खोलने का दिनांक एवं समय | ई-वित्तीय निविदा खोलने का दिनांक एवं समय |
|-------|---|--------------|---|---|---|--|
| 1     | पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल हेतु पेंशनर्स एवं अन्य निःशुल्क उपचार योजना अंतर्गत आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति हेतु ई-निविदा | 1000.00      | 27.08.2020 दोपहर 12 बजे तक                    | 27.08.2020 सांय: 05 बजे तक                | 28.08.2020 दोपहर 02.30 बजे              | 29.08.2020 दोपहर 02.30 बजे               |

नोट:- किसी प्रकार का आंशिक संशोधन केवल संस्था की वेबसाइट <http://www.klsgaci.edu.in> पर प्रदर्शित किया जावेगा।

(डॉ. उमेश शुक्ला)  
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
मो.नं. 9425373046

## पेंशनर्स एवं अन्य निःशुल्क उपचार योजनान्तर्गत औषधि प्रदाय हेतु ई-निविदा की नियम एवं शर्तें

1. पं. सुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल के चिकित्सालय में राज्य शासन के पेंशनर तथा अन्य उपचार योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को निःशुल्क उपचार की औषधियां स्थानीय कच के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु (वर्ष 2020-21) ई-निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदाये आंगत्रित की जाती है। जो कि <https://mptenders.gov.in/> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने की नियम निर्देश एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट <http://www.klsgaci.edu.in> पर भी प्रदर्शित है।
2. ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27.08.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक है, तथा ई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27.08.2020 को सांय: 05.00 बजे तक हैं। ई-तकनीकी निविदा महाविद्यालय में दिनांक 28.08.2020को दोपहर 02.00 बजे एवं वित्तीय निविदा दिनांक 29.08.2020 को दोपहर 02.00 बजे <https://mptenders.gov.in/> से डाउनलोड की जावेगी।
3. ई-निविदा विड दरतावेज हस्तांतरणीय नहीं है।
4. इच्छुक ई-निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र को <https://mptenders.gov.in/> से ई-निविदा राशि रु. 1000/- का भुगतान कर डाउनलोड कर सकते है।
5. राज्य शासन के पेंशनर्स तथा अन्य उपचार योजना अन्तर्गत निःशुल्क उपचार की सुविधा हेतु आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त एवं पेटेन्ट औषधियां ही राप्लाई की जाना है।
6. देय औषधियों का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 24 घंटे अर्थात् एक दिवस में संस्थान चिकित्सालय के स्टोर में औषधियां प्रदाय करनी होगी। इसके लिए पृथक से कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा। अधिकतम खुदरा मूल्य मे से छूट राशि को कम कर शेष राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी.देय होगा।
7. औषधियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य में कितने प्रतिशत की छूट देय होगी, इसा हेतु वित्तीय निविदा में खुदरा मूल्य से छूट का प्रतिशत अंकों व शब्दों में केवल <https://mptenders.gov.in> पर ई-वित्तीय निविदा की एक्सल शीट BBQ में अंकित करना है।
8. औषधियों के आदेशानुसार पृथक-पृथक देयक तीन प्रतियों में संस्थान चिकित्सालय में प्रस्तुत करना होगा।

9. औषधियों के गुणवत्ता संबंधी प्रमाणीकरण विहितालय के अधीक्षक के द्वारा मान्य होने न पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
10. किसी भी पेंशनर या अन्य उपचार योजना के अन्तर्गत हितग्राही रोगी की शिकनयत प्राप्त होने पर तथा नियम शर्तों का पालन न करने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा न पाये जाने पर आदेश तत्काल निरस्त कर दिये जावेगें एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
11. औषधियां प्रदाय की अवधि एवं दरें 31 मार्च 2021 तक के लिये मान्य होगी। दोनों पक्षों की सहमति से समान शर्तों के साथ समयावधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है।
12. तकनीकी निविदा के साथ ई.एम.डी.राशि रूपये-100000/- (रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। जिस फर्म की निविदा मान्य होगी, अनुबंध होने पर विना ब्याज के ई.एम.डी.राशि वापस कर दी जावेगी।
13. ई-निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
14. सफल ई-निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में विगत वित्तीय वर्ष के आंकलन के आधार पर 5 से 10 प्रतिशत तक की राशि जमा करना होगा।
15. जिस फर्म को औषधियां प्रदाय हेतु आदेश किया जायेगा, यदि वह फर्म निर्धारित अवधि में शर्तों का पालन न करते हुए अथवा किसी अन्य कारण से औषधियां प्रदाय नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी।
16. वांछित सभी कम्पनियों/फर्मों/फार्मेशियों की दवार्यें उपलब्ध करवाना होंगी।
17. निविदाकर्ता फर्म का गुमारता संबंधित कार्य का होना तथा जीएसटी नं. होना अनिवार्य है।
18. निविदाकर्ता फर्म का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 10 लाख होना आवश्यक है। विगत 03 वर्षों का आईटीआर की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
19. आवेदनकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होगी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। इस संदर्भ ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र राशि रूपये 50.00के नान जूडिशियल स्टाम्प पर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
20. ई-निविदा खोलने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निविदाकर्ता अपना उनके प्रतिनिधि होने का अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर ही, शामिल होने की अनुमति दी जावेगी।
21. जिस फर्म द्वारा शुद्ध मूल्य पर छूट का प्रतिशत अधिक होगा उसी फर्म की निविदा स्वीकार होगी, यदि निविदा की छूट का प्रतिशत समान होता है, तो उसे लॉटरी सिस्टम से खोला जावेगा, जिसमें सभी को मान्य करना होगा।

22. ई. निवेदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य का होगा जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा इसका प्रालंब करना होगा।
24. ई-तकनीकी निवेदा में जो दस्तावेज अपलोड किये हैं, उन दस्तावेजों की सत्यापित प्रति का का रीट ईएमडी राशि के मूल बैंक ड्राफ्ट के साथ ई-तकनीकी निवेदा कोलते समय उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। साथ ही बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति ई-तकनीकी निवेदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
25. अन्य कोई शर्त आवश्यकता पड़ने पर मान्य करना होगी।
26. ई-तकनीकी निवेदा का विश्लेषण करते समय केवल बाह्यित दस्तावेजों (वेब लिंक के अनुसार) को ही विचार में क्षेत्र में लिया जायेगा।
27. किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद  
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल



## चेक लिस्ट

| क्रं. | दस्तावेजों के नाम  | संलग्न<br>हां/नहीं |
|-------|--|--------------------|
| 1     | गुनास्ता की छायाप्रति (तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।)  |                    |
| 2     | पैनकार्ड की छायाप्रति (तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।)  |                    |
| 3     | GSTIN: (पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।)<br><br>GST जमा संबंधी विगत दो वित्तीय वर्षों का ऑनलाइन पत्रक (तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।) |                    |
| 4     | वर्ष 2019-20 में टर्न ओवर की राशि (आयकर की विवरणों की अनिश्चितकालीन संलग्न करें) (विगत 03 वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) का आईटीआर की प्रति तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है )                       |                    |
| 5     | ई.एम.डी. राशि के बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।  |                    |
| 6     | चेक लिस्ट न हान का घोषणा प. रु 50.00 के नाम म्युंडीशियल स्टाम्प पर (तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।)   |                    |

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....  
 निविदाकर्ता का नाम.....  
 फर्म का नाम .....

पता.....  
 मोबाइल नं.....

११

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल  
पेंशनर्स एवं अन्य उपचार योजनान्तर्गत औषधियों के स्थानीय क्रय हेतु निविदा पत्र का प्रारूप

भाग-एक

(तकनीकी ई-निविदा प्रपत्र)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम----- फर्म का  
मालिक/पार्टनर का नाम-----पिता का नाम-----
2. स्थाई पता-----
3. वर्तमान निवास का पता-----
4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर-----
5. GSTIN -----
6. (पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है )  
ई.एम.डी.राशि अंको में .....शब्दों में .....

| वैक का नाम | राशि | दिनांक |
|------------|------|--------|
|            |      |        |

7. नोट- ई.एम.डी.राशि के वैक ड्राफ्ट की छायाप्रति (ई-तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है) एवं ई.एम.डी.राशि का मूल वैक ड्राफ्ट ई-तकनीकी निविदा खोलते समय उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।
8. जी.एस.टी.जमा सम्बन्धी विगत दो वर्षों का आनलाइन पत्रक तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।
9. वर्ष 2019-20 में टर्न ओवर की राशि-----  
(विगत तीन वर्षों की आयकर की विवरणी की अभिस्वीकृती तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है )
10. पैन नंबर .....पैन कार्ड की प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है
11. गुमास्ता नं.....दिनांक.....( प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है )।
11. किसी संस्था में ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र राशि रु 50.00 के नान जूडिशियल स्टॉप पर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम-----

फर्म का नाम.....

९११

भाग 02 ई-वित्तीय निविदा

|                           | प्रतिशत   |            |
|---------------------------|-----------|------------|
|                           | अंकों में | शब्दों में |
| खुदरा मूल्य पर अधिकतम छूट |           |            |

उक्त प्रपत्र प्रारूप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार छूट राशि को ई-वित्तीय निविदा ऑनलाइन [www.mptender.gov.in](http://www.mptender.gov.in) पर तकनीकी निविदा की एक्सल शीट BBQ में ही दर्ज करना है ।

